प्र0 राज्य औद्योगिक विकास
निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स,
ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
Phones : 2582851-53 (PBX)
Fax : 0512-2580797
Website : www.upsidc.com
E.Mail : feedback@upsidc.cc

सन्दर्भ सं0 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/**Policy Voll-XV** दिनांक

–: कार्यालय आदेश :–

निदेशक मण्डल ने अपने दिनांक 24.12.10 को सम्पादित बोर्ड बैठक में आबंटित इकाईयों की भूमि के पुर्नक्रय से सम्बन्धी एजेण्डा नोट पर चर्चा करते हुये पूर्व अनुमोदित नीति को निम्न प्रतिबन्धों के साथ पुनः अनुमोदित किया है तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया:–

1. पुर्नक्रय केवल उन्ही भूखण्डों का किया जाएगा, जिनका निरस्तीकरण एवं निरस्तीकरण के पश्चात कब्जा दुर्गम हो।
2. उक्त क्षेत्र में निगम के पास आबंटन योग्य भूमि उपलब्ध न हो अथवा अत्यन्त क्षीण मात्रा में उपलब्ध हो एवं मॉग अधिक हो।
3. भूखण्ड भवन हटाने पर अथवा भवन के साथ पुनः उपयोगित होने की स्थिति में हो।
4. भवन का कोई भी मूल्य आबंटी को देय नही होगा।
5. इस प्रकार से पुर्नक्रय किये गये भूखण्ड का पुर्नआबंटन निगम की नीति के अनुसार किया जाएगा।
6. पुर्नक्रय हेतु धनराशि की गणना भूखण्ड /भूमि के लोकेशन, विपणन की सम्भावना (उप–विभाजन के उपरान्त अथवा मूलरूप में) आदि को दृष्टिगत कर किया जाएगा, जो कि एनसीआर एवं अति तीव्र गति क्षेत्रों में निगम की प्रचलित दर का 70 प्रतिशत तथा फास्ट एवं स्लों में 60 प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक नही होगा।
7. उपरोक्त व्यवस्था एनसीआर एवं तीव्र गति के औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ से कम तथा गैर एनसीआर एवं तीव्र /स्लो क्षेत्रों में 25 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के पुर्नक्रय हेतु लागू होगी। उपरोक्त सीमा के ऊपर के भूखण्डों में दरों का ऑकलन सेक्टोरल दर/बल्क भूमि की दरों की गणना की पूर्व–निर्धारित नीति के अनुसार करते हुये पुर्नक्रय का आफर आगणित किया जाएगा, जो सेक्टोरल/बल्क दर का 70 प्रतिशत (एनसीआर एवं अतितीव्र गति क्षेत्रों मे) तथा 60 प्रतिशत (फास्ट एवं स्लों) से किसी भी दशा में अधिक नही होगा।

उपरोक्त नीति को संज्ञान में लेते हुये मॉग बाहुल्य क्षेत्रों में यदि ऐसे मामले जिसमें निरस्तीकरण एवं निरस्तीकरण के पश्चात कब्जा दुर्गम हो तथा पुनक्रय हेतु आबंटी स्पष्ट रूप से सहमत हो में उपरोक्तानुसार परीक्षण कर स्पष्ट सस्तुति के साथ प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाए।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

सन्दर्भ सं0 3327-30 /एसआईडीसी/आईए/एचओ/**Policy Voll-XV** दिनांक 24-01-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक/वैय0 सहायक सयुंक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,मुख्यालय, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्र प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0 क्षे0 अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 मुख्यालय, कानपुर।

तपेन्द्र प्रसाद
सयुंक्त प्रबन्ध निदेशक